

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोतमा जिला अनूपपुर (मोप्र०) ::
 क्रमांक/अनु०अधि०(पुलिस)/कोतमा, जिला, अनूपपुर, 29.09.17 दिनांक 29.09.17
 प्रति,

सहायक आयुक्त,
 जनजातीय कार्य विभाग
 जिला-अनूपपुर (मोप्र०)
 विषय - थाना कोतमा जिला अनूपपुर के अप०क० 150/17 धारा 447,294,323
 ता०हि० एवं 3(1)एफ.जी.आर.एस, एवं 3(2)वा एससी/एसटी एक्ट के प्रकरण
 में राहत राशि स्वीकृति हेतु।
 संदर्भ- आपका पत्र क./ज.जा.का.वि./राहत/3851/17 अनूपपुर दि. 07.09.2017

-0-

मान्यवर,

निवेदन है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में पीड़ित के कुटुम्ब के सदस्यों एवं आश्रितों की सूची चाही गई है, उक्त संबंध में लेख है कि विवादित जमीन आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 0.721 के भूस्वामियों के बारे में जानकारी उक्त जमीन का खसरा एवं पीड़ित के कुटुम्ब के सदस्यों एवं आश्रितों के बारे में जानकारी हेतु सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया एवं पटवारी हल्का पिपरिया द्वारा जारी सेजरा पंचनामा खानदान संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

वांछित जानकारी सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार -02 प्रति।

अनु०अधि०(पुलिस)
 कोतमा

SEP-17
 Assistant Director
 Tribal Development
 J. P. Bhopal

खसरा



88845660505

वर्ष 2016-2019.

तहसील कांठमा.

ग. नं. में कर्तव्यता

हस्तक्षेप संख्या

आम धारा 11

क्र.सं.	संख्या	संख्या	संख्या	खतों की प्रमाण			खतों के व्यति के संख्या में बंधे गई फसल का नाम	वर्ष
				क्षेत्रफल	दुरुस्तों संख्या	बादू वर्ष की प्रकृति का क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रतिनिधि दल नाम के निम्नः
नाम, 08 एच दिनकिक


ASISAR, Director
Tribal Development
M.P. Bhopal

सेजरा पंचनामा खानदान

स्वयालाल वर्मा (कुहर) (पौ०)

पत्नी चन्द्रवती वर्मा (पौ०)

भगवानदीन उर्फ गोविन्द प्रसाद वर्मा (कुहर) (पौ०)
पत्नी कमला लक्ष्मी वर्मा (पौ०)



प्रमाणित किया जाता है कि श्री शत्रुघ्न वर्मा
पिता श्री गोविन्द प्रसाद उर्फ भगवानदीन निवासी ग्राम पिपरिया
तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) का पुस्तनी निवासी है, तथा 70 वर्ष
वर्षों से निवास कर रहा है।

तथा इनकी जाति कुहर को अनुसूचित जाति / जनजा
वर्ग के अंतर्गत आता है इनके पिता/माता के नाम एवं सहखाते में ग्राम
की भूमि खसरा नं. रकबा दर्ज राजरू
है। यह पंचनामा चार भाले गवाहों के समक्ष प्रमाणित किया जाता है।
गवाह—

1. महाकली केर 0 मागवली केर
2. खरगेश प्रजापति 1 रघुबीर सिंह उपाध्याय
पंचनामा तथा डाक पत्र
3. नन्द प्रकाश केर 2 पद्म प्रसाद प्रियावत के प्रसाद
के साथ पर सेपर
4. जगदशमान केर 3 धनराज सिंह केर
5. गजेन्द्र साहव 4 मनोहर

[Signatures and Stamps]

राजस्थान निर्देश
दस्तावेज एवं
27/09/2017

Assistant Director
Tribal Deptt. : Inctm
In P. Bhopal